

## फर्द अहकाम

### न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : सुश्री सोनु वगैरह

किस्म मुकदमा –विविध आ.9नि.9 जा.दी.

विपक्षी : श्रीमती गीता कुंवर

पत्रावली संख्या : 39/25

जीसीएमएस : 2025/141

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हराबार पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 27.03.2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सीपीसी पर बहस सुनी गई।</p> <p>हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र संख्या 96/21 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उनवान सुश्री सोनु वगैरह बनाम श्रीमती गीता कुंवर वगैरह की आदेशिका का अवलोकन करने से जाहिर होता कि उक्त अनवान का प्रार्थना पत्र दिनांक 26.03.2025 को अधिवक्ता प्रार्थी मय प्रार्थी को निरन्तर आवाजे दिलवाने के पश्चात भी न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने से अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किये जाने के आदेश दिये गये थे। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि वादीगण कृषि कार्य में व्यस्त रहने से तथा मुझ अधिवक्ता के वल्लभनगर न्यायालय में चले जाने से उपस्थित नहीं हो सका। मैं जैसे ही न्यायालय में उपस्थित हुआ तो जानकारी में आया की प्रकरण को अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। उसके बाद तत्काल प्रभाव से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया। यद्यपि प्रार्थी स्वयं को अपने प्रकरण की जानकारी हेतु जागरूक होना चाहिये, तथापि प्रार्थी द्वारा अनुपस्थित रहने का माकूल कारण बताया गया है। प्रकरण प्रारम्भिक स्टेज पर है तथा प्रार्थी द्वारा यह भी निवेदन किया कि मूल वाद सम्पत्ति के हक-अधिकारो का है, जिसे गुणावगुण के आधार पर सुना जाने हेतु पुनः नम्बर लिया जा चुका है। हम प्रार्थी द्वारा बताए गए विभिन्न कारणों से सहमत है। चूंकि प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में एक दिन पूर्व ही खारिज हुआ है। अधिवक्ता द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 स्वीकार योग्य पाया जाता है।</p> <p><b>:- निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सीपीसी :-</b></p> <p>अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि पूर्व के प्रार्थना पत्र संख्या 96/21 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उनवान सुश्री सोनु वगैरह बनाम श्रीमती गीता कुंवर वगैरह को पुनः नम्बर पर लिया जाने के आदेश दिए जाते हैं। अधिवक्ता प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि मूल प्रार्थना पत्र में विपक्षीगण को सूचना हेतु पुनः नोटिस प्रस्तुत करने होंगे। अधिवक्ता प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय हाजा में मूल वाद में दिनांक 08.08.2025 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के संलग्न रहे। मूल वाद दिनांक 08.08.2025 को पेश हो।</p> <p>निर्णय खुले ईजलास में सुनाया गया।</p> <p>(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

